राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प – रामकुमारपुरा

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर – 41/2017

श्रीमती कजोडीदेवी पत्नी श्री प्रभुदयाल सैनी जाति माली निासी ढाणी लालोडा मालियान तन् पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.... वादी

ब–ना–म

1. ओमदेवी पत्नी स्व. अर्जुन सिंह
2. मदन सिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह
3. सतवीर सिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह
4. सुमेरसिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह
5. मुकेश सिंह उर्फ मुनेस सिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह
6. रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी खेतावाली तन् लालगढ़ तहसील खेतड़ी।
7. सुनीता बाई पुत्री स्व. अर्जुन सिंह पत्नी गुलाब सिंह
8. बीना बाई पुत्री स्व. अर्जुन सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी खेतावाली तन् लालगढ़ हाल आबाद ग्राम हीरानगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0
9. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी।

..........प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक, खाता विभाजन

एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:– **दिनांक 06–10–2021**

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08–09–2020 को प्राथमिक डिक्री का निर्णय पारित किया गया कि ग्राम लालगढ़ तहसील खतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 खाता सं. 4 के खसरा नंबर 904, 941 कुल किता 2 कुल रकबा 0.23 है. भूमि में से मुताबिक राजीनामा दिनांक 08.09.2020 के वादिया को 0.11 है. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। [illegible] वादिया का उक्त वादग्रस्त भूमि में 0.11 है. हिस्से की भूमि का खाता विभाजन [illegible] अलग से कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारा[illegible]से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18[illegible] एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11[illegible]04 को मध्य नजर [illegible]हुये विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.27 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवाने हेतु तहसीलदार, खेतड़ी को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2021/921 दिनांक 23.03.2021 से न्यायालय के निर्णयानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प रामकुमारपुरा में पेश हुई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान विभाजन प्रस्ताव पर सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–03–2021 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–03–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–03–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–03–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–03–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें। तहसीलदार खेतड़ी पक्षकारान के निवेदन पर प्रदर्श–'ब' के अनुसार सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प रामकुमारपुरा में दिनांक 06–10–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.27 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

उनवान

श्रीमती कजोडीदेवी पत्नी श्री प्रभुदयाल सैनी जाति माली निासी ढाणी लालोडा मालियान तन् पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

ब–ना–म

1. ओमदेवी पत्नी स्व. अर्जुन सिंह
2. मदन सिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह
3. सतवीर सिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह
4. सुमेरसिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह
5. मुकेश सिंह उर्फ मुनेस सिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह
6. रविन्द्र सिंह पुत्र स्व. अर्जुन सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी खेतावाली तन् लालगढ़ तहसील खेतड़ी।
7. सुनीता बाई पुत्री स्व. अर्जुन सिंह पत्नी गुलाब सिंह
8. बीना बाई पुत्री स्व. अर्जुन सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी खेतावाली तन् लालगढ़ हाल आबाद ग्राम हीरानगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0
9. उप पंजीयक, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, खेतड़ी।

दावा बाबत **घोषणात्मक, खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

मुकदमा नम्बर :– **41/2017**

निर्णय दिनांक :– **06–10–2021**

वादी की ओर से **श्री मुकेश कुमार एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से **श्री रोशनलाल सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **06–10–2021** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–03–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 23–03–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ–2' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगें।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **06–10–2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.06.27 16:09:41 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी